

2026/37



राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक/न्यायालय/प्र.सं. 37 /2025

दिनांक :- 11.2025
28.01.26


—: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का सांगरिया भू.अ.नि. धनोप एवं तहसीलदार, फूलियाकलां की अभिशंषा रिपोर्ट अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रदत्त प्रावधानानुसार प्रार्थी हीरालाल पुत्र मांगीलाल कुमावत नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां के ग्राम सांगरिया की जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी खाता संख्या 53, 51 में दर्ज नाम हीरा पुत्र मांगु के स्थान पर हीरालाल पुत्र मांगीलाल संशोधन के आदेश दिए जाते हैं।


उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. तहसीलदार फूलियाकलां राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें।
2. प्रार्थी हीरालाल पुत्र मांगीलाल नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा